(125)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 951–दो/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–11–2001 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 236/अपील/1998–99

.....

श्रीराम शर्मा पुत्र के0आर0शर्मा
निवासी जयस्तम्भ चौराहा
गुना म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती शकुन्तला
2–योगेश विजयवर्गीय
3–श्रीमती प्रतिभा देवी
4–मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर जिला गुना

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 24/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–11–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा ग्राम कस्बा गुना स्थित भूमि सर्वे कमांक 960, 961, 962 एवं 965 कुल किता 4 कुल रकबा 0.439 हेक्टेयर पर व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 3–ए/1983 में पारित डिक्री दिनांक 2–5–1984 के आधार पर नामान्तरण की मॉग की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 8–9–1998 को आवेदन पत्र निरस्त किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–2–1999 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–11–2001 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 का नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि नजूल आबादी से होकर आवेदक का लगभग 30 वर्ष से भी अधिक समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 का नाम दर्ज करने के आदेश देने में अवैधानिकता की गई है। यह भी कहा गया कि 30 वर्ष से भी अधिक समय से आवेदक का कब्जा होने पर वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार था, इसके बावजूद भी उसे बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्यायूपर्ण कार्यवाही की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा है और इस न्यायालय में भी

उसके द्वारा यह निगरानी केवल प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा होने के आधार पर प्रस्तुत की गई है, जबकि कब्जे के आधार पर स्वत्व का निराकरण करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–11–2001 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर